फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मगन बनाम भारता वगैरह

किस्म मुकदमा .....225..... मुकदमा नंबर.....03.....सन.....2023.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.02.2023	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण आज दिनांक को उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2012 बउनवान मगन बनाम भारता मे पारित निर्णय दिनांक 02.07.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने प्रकरण मे बहस करने हेतु निवेदन किया, जिस पर अपीलांट अधिवक्ता द्वारा एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 220, 221, 398 ,399, 400, 403, 404, 405, 409 के संबंध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज किया जाकर दिनांक 16.01.2012 को सम्मन जारी किए गए। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 1 भारता की मृत्यु दिनांक 27.08.2013	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को हुई। जिस पर अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादी ने जवाब पेश करने हेतु पत्रावली नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने हेतु जवाब नहीं पेश कर केवल मात्र बहस का हवाला देकर तकनीकी बिन्दु पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी आराजी है। उक्त निर्णय से अपीलांट अपने हक अधिकारों से वंचित हो रहा है। अतः जैर अपील निर्णय अपास्त किया जाकर पूर्व वाद को नंबर पर लिये जाने एवं नया वाद प्रस्तुत करने के संबंध में अनुमति प्रदान करावें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया है उक्त वाद के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी आराजी बताया है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के अन्तर्गत साक्ष्य, जवाब लेकर तनकीयात कायम कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात गुणवागुण पर अंतिम निर्णय पारित होगा। जिससे उक्त अपील को हाजा न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं होता हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र तकनीकी बिन्दु पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मूल वाद को जैर अपील निर्णय के जरिये खारिज किया गया है। किसी भी प्रकरण के अन्तर्गत महत्वपूर्ण बिन्दुओ को नजरअंदाज कर केवल मात्र तकनीकी बिन्दु पर निर्णीत किया जाना विधिसम्मत नही है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है एंव प्रकरण की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए न्यायहित मे अपीलांट को हस्तगत प्रकरण से संबधित वादग्रस्त आराजीयात मौजा रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 220 रकबा 0.75 हैक्टेर, 221 रकबा 1.50 हैक्टेर, 398 रकबा 0.46 हैक्टेर, 399 रकबा 0.04 हैक्टेर, 400 रकबा 0.18 हैक्टेर, 403 रकबा 0.09 हैक्टेर, 404 रकबा 0.86 हैक्टेर, 405 रकबा 0.06 हैक्टेर, 409 रकबा 1.22 हैक्टेर, के संबध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नया वाद प्रस्तुत करने बाबत अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जालोर